न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः–अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
11/2020	17.02.2020	21/10/24

1. रयाज मोहम्मद खां पुत्र अब्दुल हमीद खान उम्र 50 साल जाति मुसलमान निवासी 427 संजय नगर सी नूरानी मस्जिद मार्ग कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर राज0 हाल निवासी खैरदा सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री शिवचरण सोनी एड0 प्रार्थी की और से।
2. पेरोकार सरकार अप्रार्थी की और से

:– निर्णय –:

प्रार्थी ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि पुराने खसरा नंबर) चारागाह वाके ग्राम खवा तहसील सवाई माधोपुर में से किस्म परिवर्तन होकर गोपाल सिंह पुत्र धूलसिंह जाति राजपूत निवासी रांवल तहसील सवाई माधोपुर को 3 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था तथा आवंटन के समय संभलाई गई भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा कब्जा काश्त के आधार पर गैर खातेदारी दर्ज हो गई थी। वर्तमान खसरा नंबर बना लिये जिसमें गोपाल सिंह के कब्जे के स्थान पर खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 है0 चारागाह दर्ज कर ... गोपाल सिंह को अन्य स्थान पर खसरा नंबर 1277/986 रकबा 0.19 है0 ... खवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर का खातेदार ... रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कर सेटलमेंट विभान ने अहम गलती की है। गोपाल सिंह पुत्र धूलसिंह जाति राजपूत ने खातेदारी के उक्त ख0न0 1277/986 रकबा 0.19 है0 का बेचान प्रार्थी को कर दिया जिसकी रजिस्ट्री होकर नामांतकण खोल दिया गया रेवेन्यू रिकार्ड में नाम दर्ज हो गया तथा कब्जा प्रार्थी को खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 है0 वाके

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:39:33 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

...म खवा पर कब्जा संभलाया। इस प्रकार प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है कि रेवेन्यू ...कार्ड में अपने कब्जे के अनुसार खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 वाके ग्राम खवा ...सील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाये एवं प्रार्थी की ...तेदारी के खसरा नंबर 1277/986 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम खवा को ...रागाह दर्ज करवाये। प्रार्थी दिनांक 08.01.2020 को पटवारी हल्का से कहा कि ...त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1277/986 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम ...वा के स्थान पर कब्जे में अनुसार खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 है0 चारागाह ...के ग्राम खवा तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार होने बाबत रेवेन्यू ...कार्ड में दुरूस्ती करवा दो। इस पर पटवारी हल्का ने मना कर दिया इस कारण ...द कारण श्रीमान के क्षेत्राधिकार में पैदा होने से श्रीमान को सुनने का पूर्ण ...र्णाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 1277/986 रकबा 0.19 ... वाके ग्राम खवा के स्थान पर खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम खवा ...रागाह आराजी के बराबर रकबा है। इस प्रकार चारागाह भूमि का रकबा एज ...ट इज रह जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना ...त्र स्वीकार फरमाया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी के खातेदारी के खसरा नंबर ...77/986 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम खवा तहसील सवाई माधोपुर के स्थान पर ...सरा नंबर 73 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम खवा का खातेदार काश्तकार रेवेन्यू ...कार्ड दुरूस्त करवाया जावे एवं इसी प्रकार रेवेन्यू रिकार्ड नक्शा शीट में तरमीम ...रमाया जाने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस ...लबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार ...वाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में ...अंकित किया है कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम खवा के हाल खसरा नंबर ...8/986 रकबा 0.47 है साबिक खसरा नंबर 30 रकबा 0 बीघा 14 बिस्वा के है। ...मुताविक जमाबंदी सम्वत 2066–69 के खसरा नंबर 72/98... रकबा 0.47 है0 ...गोपाल सिंह पुत्र धूलसिंह राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है ... 72/986 का कुल रकबा 0.47 है0 था जबकि वाद पत्र में इसका रकबा पूर्व ... ही 0.19 है0 बताकर उसके स्थान पर खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह को खातेदारी दर्ज कराने का दावा किया गया है। हाल खसरा नंबर 1277/986 रकबा 0.19 है0 का मूल नंबर 72/986 रकबा 0.47 है0 था। जो गोपाल सिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:59:33 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सिंह राजपूत के नाम दर्ज था। नाoनo 187 दिनांक 21.02.2013 न्यायाo
देश से खसरा नंबर 72/986 रकबा 0.47 हैo में से 0.28 हैo भूमि जगरबाई
ी लखपत मीना साo देह खाते दर्ज रिकार्ड हुआ था। जमाबंदी सम्वत
70–73 में खसरा संख्या 1277/986 रकबा 0.19 हैo (72/986 रकबा 0.28
जगरबाई पत्नी लखपत के जाने के बाद शेष रहा) गोपाल सिंह के स्थान पर
सo 398 दिनांक 01.05.2019 बेचान से रयाज मोहम्मद खां पुत्र अब्दुल हमीद
जाति मुस्लमान रिकार्ड दर्ज है। सेटलमेंट के बाद बने खसरा नंबर 72/986
दो टुकडे खoनo 72/986 रकबा 0.28 हैo व 1277/986 रकबा 0.19 हैo बने
वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार खoनo 72/986 रकबा 0.28 हैo पर
रबाई पत्नी लखपत जाति मीना व खoनo 1277/986 रकबा 0.19 हैo पर
ाज मोहम्मद पुत्र अब्दुल हमीद खां का कब्जा काश्त है। अतः निवेदन है कि
के खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 हैo व खoनo 72/986 का रकबा 0.47 हैo था
खसरा नंबर 72/986 के खातेदार मौके पर अपनी अपनी जगह काश्त कर रहे
अतः वादी के द्वारा वांछित खसरा नंबर 1277/986 रकबा 0.19 हैo के स्थान
खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण मे वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र
अनुसार बहस की तथा बहस में बताया है कि साबिक खसरा नंबर 30
रागाह वाके ग्राम खवा तहसील सवाई माधोपुर स्थित है जिस पर गोपाल सिंह
। धूलसिंह जाति राजपूत निवासी रांवल तहसील सवाई माधोपुर को 3 बीघा
मे का आवंटन हुआ था तथा आवंटन के समय संभलाई गई भूमि पर कब्जा
श्त चला आ रहा है तथा कब्जा काश्त के आधार पर गैर खातेदारी दर्ज हो
ई थी। वर्तमान खसरा नंबर बना लिये जिसमें गोपाल सिंह के कब्जे के स्थान
र खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 हैo चारागाह दर्ज कर दिया तथा गोपाल सिंह को
न्य स्थान पर खसरा नंबर 1277/986 रकबा 0.19 हैo वाके ग्राम खवा तहसील
जिला सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कर
ेटलमेंट विभाग ने अहम गलती की है। गोपाल सिंह पुत्र धूलसिंह जाति राजपूत
े खातेदारी के उक्त खoनo 1277/986 रकबा 0.19 हैo का बेचान प्रार्थी को कर
देया जिसकी रजिस्ट्री होकर नामांतकण खोल दिया गया रेवेन्यू रिकार्ड में नाम
दर्ज हो गया तथा कब्जा प्रार्थी को खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 हैo वाके ग्राम
खवा पर कब्जा संभलाया। इस प्रकार प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है कि रेवेन्यू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:59:33 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कार्ड में अपने कब्जे के अनुसार खसरा नंबर 73 रकबा 0.19 वाके ग्राम खवा हसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाये एवं प्रार्थी की ातेदारी के खसरा नंबर 1277/986 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम खवा को ारागाह दर्ज किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध कार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी उक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम खवा में दर्ज पने नाम खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1277/986 रकबा 0.19 है0 को चारागाह ं खसरा नम्बर 73 रकबा 0.19 किस्म चारागाह को अपने नाम दर्ज करवाना हता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी के बदले चारागाह भूमि से विनिमय करवाना हता है। प्रार्थी कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने हेतु घोषणा रवाना चाहता है जबकि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के वधानानुसार केवल राजस्व रिकार्ड के अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जा सकती । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एलआर एक्ट 1956 की धारा 136 के अंतर्गत नहीं आता । परन्तु प्रार्थी ने उक्त प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट में पेश किया गया जो ही नही है क्योकि धारा 136 एलआरएक्ट का दायरा छोटा होता है। उक्त करण को गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण के आधार पर ही इन्द्राज रुस्ती व खातेदारी की घोषणा की जा सकती है। परन्तु प्रार्थी ने उक्त प्रकरण रा 136 एलआरएक्ट में पेश किया जो सही नही है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का र्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नही होता है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 लआरएक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक ... को मेरे रा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ... किर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:59:33 IST
Reason: SelfAttested

(अनूप सिंह)
उपजिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर